प्रदेश के 15 ज़िलों के 7834 ग्राम अभावग्रस्त घोषित

चर्चा में क्यों?

17 फरवरी, 2023 को राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी कर प्रदेश के 15 ज़िलों के 7834 ग्राम अभावग्रस्त घोषित किये हैं। यह अधिसूचना 31 मार्च, 2023 तक लागू रहेगी।

प्रमुख बिंदु

- ज़िला कलेक्टरों से प्राप्त खरीफ फसल-2022 (संवत् 2079) नियमित / विशेष गिरदावरी रिपोर्ट के आधार पर बाढ़ से फसल खराब होने पर किसानों को राहत प्रदान करने के लिये इन ज़िलों के गाँव के लिये अधिसूचना जारी की गई है।
- आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार बारां ज़िले के 1231 ग्राम, भरतपुर के 957, बूंदी के 517, धौलपुर के 58, श्रीगंगानगर के 02, झालावाड़ के 1597, करौली के 13, नागौर के 347, सवाई माधोपुर के 14, टोंक के 716, कोटा के 766, बांसवाड़ा के 717, प्रतापगढ़ के 625, जोधपुर के 47, अजमेर के 227 ग्रामों को राहत प्रदान की गई है।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/7834-villages-of-15-districts-of-the-state-have-been-declared-poverty-stricken